19/3/25

पत्रावली वास्ते लिखित पेश हुई उपरोक्त
उप० प्रार्थना अर्जी स्वीकार किया जाता है विस्तृत
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल
किया गया। नंबर से कम हो
निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/503

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 14:37:52 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

असलम खान बनाम दली वगैरा

नाम मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–175 / 2023 (GCMS No. 2023/503)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 164 / 147 के खसरा संख्या 543 में 16.643 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि में 6.981 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या–01 ने अपने नाम अंकित भूमि में से 1.771 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.06.2023 को उप पंजीयक राजियासर के समक्ष प्रतिफल प्राप्त कर प्रार्थी के पक्ष में करवा दिया तथा कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया। बैयनामा के आधार पर प्रार्थी उक्त जैरवाद रकबा का खातेदार घोषित करवाने का हकदार है। अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा बैचान किये गये रकबा पर अब उसका कोई अधिकार नही रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हुआ है। वादग्रस्त रकबा अभी भी अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से अंकित है। अप्रार्थी संख्या–01 उक्त रकबा को आगे बेचान करने पर आमदा है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा दिये गये कब्जा पर काश्त करता आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र के निर्णय तक रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 164 / 147 के खसरा नं. 543 में 16. 643 हैक्टर बारानी दोयम में से 6.981 हैक्टर भूमि में से 1.771 हैक्टर भूमि को रहन बेचान ना करें तथा ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसील सूरतगढ़ की रोही करडू के खाता संख्या 164 / 147 के खसरा नं. 543 में 16.643 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 6.981 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से अंकित है। उक्त भूमि में से 1.771 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.06. 2023 द्वारा प्रार्थी को किया जा चुका है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की छायाप्रति से साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 164 / 147 के खसरा नं. 543 में 16.643 हैक्टर बारानी दोयम में से अप्रार्थी संख्या–01 के नाम अंकित 6.981 हैक्टर भूमि में से 1.771 हैक्टर भूमि की मौका व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या–01 शेष भूमि का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2025.03.21 14:37:52 IST

Reason: SelfAttested